



Office of Chief Electoral Officer Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com



Press Release

05-11-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026

राजस्थान में एसआईआर का जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन
दो दिन में 36 लाख गणना फॉर्म वितरित किये गए

मैपिंग के कार्य में बाड़मेर जिला अग्रणी

जयपुर 5 नवंबर। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन यानी बुधवार तक राज्य में 36 लाख गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वितरित किए गए। प्रदेश में गणना प्रपत्र वितरण में प्रभावशाली रणनीति के कारण चित्तौड़गढ़ एवं अलवर जिले लगातार दो दिन से अग्रणी चल रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश के सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्म (ईएफ) की छपाई और घर-घर जाकर वितरण का काम 199 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। एसआईआर से संबंधित सभी गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों की मतदाता सूचियां <https://voters.eci.gov.in/> पर अपलोड कर दी गयी हैं। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/दादा-दादी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है।

श्री महाजन ने बताया कि 40 वर्ष से अधिक आयु के 84.98% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, इसके साथ ही 40 वर्ष एवं इससे कम आयु के 53.28% मतदाताओं की भी मैपिंग उनके परिवारजन के विवरण की सहायता से कर ली गई है, इस प्रकार राज्य के कुल 68.17 मतदाता विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से

मैप हो गए हैं अर्थात् इन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया में केवल गणना प्रपत्र में सूचनाओं को भरना है एवं किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं देना है।

मैपिंग के इस कार्य में जो जिले अग्रणी रहे वह हैं, बाड़मेर, नागौर, बालोतरा, जालौर और दौसा किंतु जिन जिलों में अभी इस कार्य को और अधिक सजगता एवं तत्परता से किए जाने की आवश्यकता है, वे हैं जोधपुर जयपुर कोटा श्रीगंगानगर एवं अजमेर सभी जिलों की मैपिंग के संबंध में अद्यतन स्थिति निम्न तालिका अनुसार है-
मैपिंग से फायदा

राज्य के वे सभी मतदाता जिनका मिलान देश के किसी भी राज्य के विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची के साथ हो जाता है तो उन्हें इस संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से मैपिंग मतदाताओं के लिए एक सुविधा जनित प्रक्रिया है।

मैपिंग से प्राप्त सूचना कहां भरे

4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच जारी गणना चरण के दौरान BLO प्रत्येक मतदाता के घर दो प्रति में गणना प्रपत्र लेकर आ रहे हैं। इस गणना प्रपत्र में कुछ हिस्सा पूर्व मुद्रित है जिसमें मतदाता की सामान्य जानकारी है जैसे नाम, ईपिक नंबर, पता, मतदाता सूची की क्रम संख्या, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र, इसके अतिरिक्त इस गणना प्रपत्र में मतदाता की सामान्य जानकारी जैसे पिता अथवा अभिभावक का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर जीवनसाथी की सूचना आदि भी भरे जाने हैं। इन सूचनाओं के अतिरिक्त मतदाता अगर विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के समय की मतदाता सूची में शामिल था तो उन्हें उस समय की मतदाता सूची का क्रमांक, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, जिला आदि भरने हैं और अगर शामिल नहीं था तो अपने रिश्तेदार जैसे माता-पिता, दादा-दादी, नाना -नानी में से जो भी उस समय मतदाता थे उनका विवरण भरकर गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करवाना है। इस प्रकार से गणना प्रपत्र में ही मैपिंग का विवरण भरा जाना है।

उन्होंने कहा कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा करा कर स्वच्छ एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें एवं लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें।